

## संघवाद की विशेषताएँ

संघवाद की अपनी कुछ विशेषताएँ हैं जो निम्नलिखित हैं -

### ① शक्तियों का विभाजन :-

संघवाद के अंतर्गत संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन किया जाता है।

### ② संविधान की सर्वोच्चता :-

संघात्मक व्यवस्था में समझौता संविधान में निहित होता है और संविधान में ही इस समझौते को संशोधित करने की विधि का भी उल्लेख होता है। संविधान सर्वोच्च होता है तथा सरकार के विभिन्न अंग संविधान के प्रतिफल किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते।

### ③ न्यायपालिका की सर्वोच्चता :-

संघात्मक व्यवस्था के तहत एक सर्वोच्च न्यायपालिका होती है जिसका कार्य संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करना होता है। केंद्र एवं प्रांतों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय इस विवाद को दल करता है।

### ④ लिखित संविधान :-

संघ शासन व्यवस्था में लिखित संविधान होता है। संघ एवं इकाइयों की शक्तियों का उसमें उल्लेख होता है।